पर प्रस्तावित गुप हासिसंग खलासी लाईन आवास स्वीकृति के सम्बन्ध में **€** कानपुर भूखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवम परियोजना की T.O.D. पालिसी के अन्तर्गत, संख्या 7/98, 7/99 तिलक नगर, विषयः∺

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी/ग्राथीं के गुप हाउसिंग परियोजना दिनांक 13.05.2022 को U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। प्रमाणपत्र दिनाक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनाक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. मीति 04.03.2015 के अन्तर्गत गेरे द्वारा अपनी परियोजना लगभग 300 करोड़ रूपया निवेश करने हेतु आवेदन किया औगलाईन आवेदित मवन मानिषेत्र संख्या K.D.A./B.P/22-7 रतम विभाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट अरिएन्टेड डेवलपमेन्ट 3.2.2 में निम्नोंकित प्राविद्यान आंकित कर दिए जाने के कारण मेरे भवन मानवित्र के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के अनुमोदन हेतु 23/0182 U.P.O.B.P.A.S. पोटील से स्कृटनाइज होकर प्राधिकरण स्तर स्वीकृति हेतु आ गया है। परन्तु इसी मध्य उत्तर प्रदेश शासन के आवास होने के कारण उक्त नीति के <u>ब</u> कानपुर विकास प्राधिकरण से डक्त परियोजना को T.O.D. के स्वीकृति की प्रक्रिया स्थागित हो गयी है--दिनांक 24.08.2022 जारी ю) Бу की प्लानिंग करते द्वारा शहरी नियोजन 2022 गया। मेर

जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संवालन एवम टी.ओ.डी. डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्थ रूप से अपेक्षित होगा त टी.ओ.की. स्वीकृति के लिए सम्बन्धित **a** "टी.ओ.बी. योजना

प्रार्थी मानिसिक रूप से आहत हैं। आनलाईन आवेदित गुप हाउसिंग भव**न** हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुमोदन की प्रक्रिया काधित हो जाने के कारण दीपाक्ती के पूर्व योजना के प्रारम्भ / लॉच किए जाने की योजना को गहरा धक्का लगा जिससे कानपुर द्वारा किया जा रहा है। उपसेक्तानुसार वर्णित परिस्थिति में मेरे मानवित्र के सम्बन्ध में तिथिवार घटनाक्रम निम्नवत है:-

करोन् एवन उस अनुमादित करान का कायवाहा उत्तर प्रदश मद्रा रल कापारशन

कम सख्या	दिनांक	विवरण
-	04,03,2015	उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियांजन विभाग द्वारा टी.ओ.डी. हेतु जोनिंग रेगुलेशन, प्लानिंग नाम्स एवम मवन उपविधि का निर्धारण किया गया।
N	18.03.2021	उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त नीति से आकर्षित झेकर प्रार्थी द्वारा कानपुर नगर में टी.ओ.डी. जोन के अन्तर्गत भूप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु भूमि कय किया गया।
<u>ω</u>	10.06.2021	प्राथीं द्वारा अपने भूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का कानपुर विकास प्राधिकरण से प्रमाणपत्र/पत्र दिनांक 10.08.2021 प्राप्त किया गया।
4	13.05.2022	प्रार्थी द्वारा अपने गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद से नियोजन कराते हुए U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A./B.P/22- 23/0182 आवेदित किया गया।
τĊ	16.07.2022	आनलाईन आवेदित मानचित्र पोर्टल से प्री अपूबल होकर दिनांक 16.07.2022 को प्राधिकरण स्तर पर घरीक्षण एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
۔ می	24.08.2022	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 जारी होने एवम उसके प्रस्तर संख्या 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत टी.ओ.डी जोन के अनुसार जोगल डेवलपमेन्ट प्लान के अनुमोदन होने तक मानवित्र की स्वीकृति स्थागित है।

समस्त विचाराष्ट्रीन के अन्तर्गत टी,ओ.डी नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी योजना की स्वीकृति प्रगतिशील सम्बन्धित दी.ओ.डी जोन के जोगल डेबलपमेन्ट प्लान का पूर्व समस्त कारण उत्तर प्रदेश के क्यं के F.A.R. 쉠 16 अपेक्षित होगा, प्रकरण अर्थात् टी.ओ.डी जोन — 沁 अनिवार्यरूप से वाधित हर्ने रहे र्

शासनादरा दिनाक 24.08.2022 जारा हुआ हे उसक प्रस्तर 3.2.2 टा.आ.डा.जा.च

F U.P.O.B.P.A.S. पोर्टन पर कर दिया गदा था बह उक्त नीति 24,08,2022 के कम वाधित हो गया है जो कि एक पालिसी जर्क समान है। इस पर ट्रिलियन 6 अपूर्वल कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आनलाईम सादर अवगत कराना है प्राथी जो दिनांक 13.05.2022 को मी धक्का लगेगा। कुममें 18 उक्त इकोनामी को प्रकरण

3 उपरोक्त के दृष्टिगत मूँकि उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी ग्रमाण पत्र∕पत्र दिनांक आनलाईन आवेदित मानिचित्र पोर्टल से प्री—अप्रूवल होकर प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A/B.P./22-अपने नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के पूर्व ही प्रार्थी कराते के पश्चात् 23/0182 आवेदित कर दिया गया था जो दिनांक 16.07.2022 को नियोजन कानुपर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद क्षे अपने मूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। 10.06.2021

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 के पहले के प्रकरण जो आवेदित हो गये थे 4

में रूकावट पोर्टल द्वारा पास हो चुके थे, उनको न रोका जाये ताकि उत्तर प्रदेश का विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, घन व प्रगति न हो और इस सम्बन्ध में अवश्यक निर्देश पारित किया जाए।

सादर जिवेदित

पार्थी

(महेश चन्द्र जैन) पार्टनर पलोमा रियलटी एलएलपी, 60/52, नथार्गज, कानपुर--208001